भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2946
दिनांक 18 मार्च, 2025/ 27 फाल्गुन, 1946 (शक) को उत्तर के लिए

अल्पसंख्यकों के विरुद्ध अत्याचार

†2946. डॉ. मोहम्मद जावेदः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान अल्पसंख्यकों और दलितों के विरुद्ध अत्याचार, हिंसा और भेदभाव के दर्ज मामलों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) सरकार द्वारा ऐसी घटनाओं को रोकने और अल्पसंख्यक तथा दलित समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने पीड़ितों के लिए कानूनी सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने और त्वरित न्याय दिलाने के लिए कोई विशेष उपाय किए हैं, और

(घ) अल्पसंख्यक और दलित समुदायों के कल्याण तथा सुरक्षा के लिए बनाई गई योजनाओं के अंतर्गत निधियों का आवंटन और उपयोग कितना है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री बंडी संजय कुमार)

(क): राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उसे सूचित किए गए अपराधों संबंधी सांख्यिकीय आंकड़ों को संकलित करता है और इन्हें अपने प्रकाशन 'क्राइम इन इंडिया' में प्रकाशित करता है। नवीनतम प्रकाशित रिपोर्ट वर्ष 2022 से संबंधित है। वर्ष 2020 से 2022 के दौरान, अनुसूचित जातियों (अ.जा.) के प्रति अपराध के तहत दर्ज मामलों की संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा अनुलग्नक में दिया गया है। हालाँकि, एनसीआरबी द्वारा व्यक्तिगत समुदायों के प्रति अपराध के संबंध में विशिष्ट डेटा केन्द्रीय रूप से नहीं रखा जाता है।

(ख) से (घ): भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं। कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा अनुसूचित जातियों (अ.जा.) और अल्पसंख्यकों सहित नागरिकों की सुरक्षा, संरक्षा तथा जान-माल की रक्षा करने का उत्तरदायित्व संबंधित राज्य सरकारों/संघ-राज्य क्षेत्रों का होता है, जो कानूनों के मौजूदा प्रावधानों के तहत ऐसे अपराधों से निपटने के लिए सक्षम हैं।

<u>लोक सभा अता.प्र.सं. 2946 दिनांक 18.03.2025</u>

भारत सरकार देश भर में अनुसूचित जातियों और अल्पसंख्यकों सहित अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है और अनुसूचित जातियों (अ.जा.) और अल्पसंख्यकों के प्रति अपराध से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए राज्य सरकारों के प्रयासों को समर्थन और सहायता प्रदान करती है। भारत सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में किए गए प्रमुख उपाय निम्नानुसार है:-

(i) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 को और अधिक प्रभावी बनाने तथा अत्याचार पीड़ितों को बेहतर न्याय प्रदान करने और उनके साथ हुए अन्याय का बेहतर निवारण करने हेतु इस अधिनियम को वर्ष 2015 में संशोधित किया गया है। इन संशोधनों में नए अपराध, विस्तृत अवधारणा क्षेत्र और संस्थागत सुदृढ़ीकरण शामिल हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ, मामलों के शीघ्र निपटान के लिए अत्याचार निवारण (पीओए) अधिनियम के तहत अपराधों के अनन्य विचारण हेतु मुख्य रूप से विशेष न्यायालयों की स्थापना करना और विशेष लोक अभियोजकों का विनिर्देशन तैयार करना, विशेष न्यायालयों और मुख्य रूप से विशेष कोर्ट को अपराधों का स्वतः संज्ञान लेने की शक्ति प्रदान करना आदि निहित है।

(ii) पीओए अधिनियम की धारा 18 को "अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम, 2018" के माध्यम से संशोधित किया गया था तथा इसे दिनांक 20.08.2018 से लागू किया गया था। एफआईआर के पंजीकरण से पहले प्राथमिक जांच करना या अभियुक्त की गिरफ्तारी से पहले किसी प्राधिकारी की मंजूरी लेना आवश्यक नहीं है।

(iii) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सुविधा के लिए अत्याचारों के खिलाफ एक राष्ट्रीय हेल्पलाइन (एनएचएए) की स्थापना की गई है, जिसका टोल फ्री नंबर 14566 है, जिसका उद्देश्य उनकी शिकायतों का निवारण करना और कानून के प्रावधानों और प्रक्रियाओं के बारे में जागरूकता पैदा करना है। इन अधिनियमों, नियमों और लागू केंद्र प्रायोजित योजना के संबंध में जागरूकता पैदा करने के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) के साथ भी सहयोग किया गया है।

(iv) इसके अलावा, गृह मंत्रालय समय-समय पर राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को अनुसूचित जातियों के प्रति अपराधों की रोकथाम और नियंत्रण पर जोर देने के साथ

आपराधिक न्याय प्रणाली के प्रभावी प्रशासन पर ध्यान केंद्रित करने और पीओए अधिनियम और नियमों के प्रावधानों को अक्षरश: लागू करने की सलाह (एडवाइज) देता रहा है। ये एडवाइजरी इस मंत्रालय की वेबसाइट www.mha.gov.in पर उपलब्ध हैं।

(v) गृह मंत्रालय ने राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को अनुसूचित जाति समुदायों के सदस्यों की जान-माल की रक्षा करने के लिए निवारक उपाय करने हेतु अत्याचार-संभावित क्षेत्रों की पहचान करने और ऐसे संवेदनशील क्षेत्रों के पुलिस स्टेशनों में पर्याप्त संख्या में पुलिसिंग अवसंरचना से सुसज्जित पुलिस कर्मियों को तैनात करने की सलाह भी दी है।

(vi) पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बीपीआरएंडडी) पुलिस कार्मिकों को "अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) (पीओए) अधिनियम, 1989" के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु अवगत कराने के लिए समय-समय पर उनके लिए प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम और वेबिनार आयोजित करता है।

(vii) सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग एक केंद्र प्रायोजित योजना चलाता है, जिसके तहत "नागरिक अधिकार संरक्षण (पीसीआर) अधिनियम, 1955" तथा "अनुसूचित जाति (अ.जा.) और अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.) (अत्याचार निवारण) {पीओए} अधिनियम 1989", के के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। केंद्रीय सहायता मुख्य रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संरक्षण प्रकोष्ठ तथा विशेष पुलिस स्टेशनों के कामकाज एवं सुदृढ़ीकरण, विशेष न्यायालयों की स्थापना एवं कामकाज, अत्याचार पीड़ितों की राहत एवं पुनर्वास, अंतर-जातीय विवाहों के लिए प्रोत्साहन, जहां पति या पत्नी में से एक अनुसूचित जाति का सदस्य है तथा जागरूकता पैदा करना/प्रचार करना आदि के लिए जारी की जाती है। पिछले 3 वर्षों तथा चालू वित्तीय वर्ष की दिनांक 05.03.2025 तक की स्थिति के अनुसार, अ.जा./अ.ज.जा. (पीओए) अधिनियम, 1989 के तहत प्रदान की गई केंद्रीय सहायता इस प्रकार है:

क्र.सं.	**वित्तीय वर्ष**	**जारी की गई केन्द्रीय सहायता (करोड़ रुपये में)**
1	2021-22	610.11
2	2022-23	392.70
3	2023-24	535.30
4	2024-25 (दिनांक 05.03.2025 तक)	470.51

लोक सभा अता.प्र.सं. 2946 दिनांक 18.03.2025

viii. अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा पिछले 2 वित्त वर्षों के लिए अल्पसंख्यकों के कल्याण और संरक्षण के लिए योजनाओं के तहत निधियों का आवंटन और उपयोग निम्नानुसार है:

(रु. करोड़ में)

क्रम संख्या	**वित्तीय वर्ष**	**संशोधित अनुमान स्तर पर आवंटन**	**वास्तविक व्यय / उपयोग**
1	2022-23	2612.66	837.68
2	2023-24	2608.93	1032.65

******

लोक सभा अता. प्र.सं. 2946, दिनांक 18.03.2025

अनुलग्नक

वर्ष 2020 से 2022 के दौरान अनुसूचित जातियों के विरुद्ध अपराध के तहत दर्ज मामलों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अनुसूचित जाति		
		2020	2021	2022
1	आंध्र प्रदेश	1950	2014	2315
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0
3	असम	28	15	14
4	बिहार	7368	5842	6509
5	छत्तीसगढ़	316	330	323
6	गोवा	2	4	8
7	गुजरात	1326	1201	1279
8	हरियाणा	1210	1628	1633
9	हिमाचल प्रदेश	251	244	210
10	झारखंड	666	546	674
11	कर्नाटक	1398	1673	1977
12	केरल	846	948	1050
13	मध्य प्रदेश	6899	7214	7733
14	महाराष्ट्र	2569	2503	2743
15	मणिपुर	0	0	0
16	मेघालय	0	0	0
17	मिजोरम	0	0	5
18	नागालैंड	0	0	0
19	ओडिशा	2046	2327	2902
20	पंजाब	165	200	162
21	राजस्थान	7017	7524	8752
22	सिक्किम	0	2	3
23	तमिलनाडु	1274	1377	1761
24	तेलंगाना	1959	1772	1787
25	त्रिपुरा	2	3	2
26	उत्तर प्रदेश	12714	13146	15368
27	उत्तराखंड	87	123	114
28	पश्चिम बंगाल	109	108	104
	कुल (राज्य)	**50202**	**50744**	**57428**
29	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0
30	चंडीगढ़	3	0	4
31	दादरा और नगर हवेली तथा दमण और दीव	1	0	0
32	दिल्ली	69	136	130
33	जम्मू और कश्मीर	7	13	11
34	लद्दाख	0	0	0
35	लक्षद्वीप	0	0	0
36	पुदुचेरी	9	7	9
	कुल (संघ राज्य क्षेत्र)	89	156	154
	कुल (अखिल भारत)	**50291**	**50900**	**57582**

स्रोत: क्राइम इन इंडिया

****